न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/95
दायरा तिथि : 25.03.2022
आदेश तिथि : 25-04-2022

प्रार्थी :–

श्री गजेन्द्र सिंघवी पुत्र श्री ऋषिराज सिंघवी
जाति जैन निवासी भैरू चौक रोड, सुमेरपुर
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-04-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का,. दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1277 रकबा 0.17 हैक्टर व खसरा नंबर 1279 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से **राजकीय सिवाय चक** भूमि ग्राम **मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी** तहसील बाली के खसरा नंबर 1276 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में **लाल** रंग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/1087 दिनांक 18.04.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम **मोरीबेडा स्टेशन** के खसरा नंबर 1277 रकबा 0.17 हैक्टर व खसरा नंबर 1279 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री गजेन्द्र सिंघवी पुत्र ऋषिराजसिंघवी जाति जैन निवासी सुमेरपुर के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। प्रस्तावित रास्ता के खसरा नंबर 1276 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, तथा उक्त खसरे में मौके पर रास्ता उपयोग हो रहा है, लेकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1276	0.44 हैक्टर	गै.मु. मगरा	9.15X36=329.40वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक

3. प्रस्तावित भूमि **ग्राम मोरीबेडा स्टेशन** की डी.एल.सी. दर 85770/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से न्यायालय आदेश की अनुपालना में रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री हेमन्त बोहरा ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार आवेदक को नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई।

इस सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क के प्रावधानो का अवलोकन किया, जिसके अनुसार 251–क. अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत् पाइप लाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) **जहां–(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–** और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है, तो एक अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि:–

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हैं, और

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या GCMS NO 2022/95
अनवान गजेन्द्रसिंघवी बनाम तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे हाकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है:–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि मेंसे होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति स उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

इस प्रकार विधिक प्रावधानो के अनुसार अधिकतम 30 फुट चौडा मार्ग उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है, परन्तु तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में 9.15 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावित किया है, जो विधिक प्रावधानो के विपरित है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित जांच **रिपोर्ट में वर्णित रूट से 9X36=324 वर्गमीटर रास्ता ही उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है।**

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3 (52) राज–6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1277 रकबा 0.17 हैक्टर व खसरा नंबर 1279 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिये **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी के खसरा नंबर 1276 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरा मेंसे कुल 324 वर्गमीटर रास्ता** हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक**/2022/1087 दिनांक 18.04.2022 **के संलग्न नक्शा मौका में वर्णित ट्रेक से 9 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।**

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 85770/– रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1276	0.4 हैक्टर	36X9=324वर्गमीटर	8.58	**2916X2= 5832**	राजकीय सिवाय चक

तहसीलदार, बाली देय कुल प्रतिकर राशि **5832/–**रूपये **अक्षरे पांच हजार आठ सौ बत्तीस रूपये मात्र** राजकोष में जमा की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली व सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक: 26.04.2022

क्रमॉक/कोर्ट/रास्ता/2022/1536–40
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रार्थी गजेन्द्रसिंह सिंघवी पुत्र श्री ऋषिराज सिंघवी जाति जैन निवासी भैरू चौक, सुमेरपुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner